न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 494 / 2024

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीदान पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. ओमदान पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जिन्दाराम पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रतना पुत्री पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. चन्द्रकला पुत्री पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 21/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 के वा 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कि बहिने है व उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलि[illegible]गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:28:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोष[illegible] की जावें की वादी [illegible] हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी स0 4 व 5 के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 4, 5 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कि बहिने है व उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 के वा 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का [illegible] नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:28:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के पहले से दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में भागीराम उर्फ भागीरथ पुत्र पाबुदान के बजाय भागीरथ पुत्र पाबुदान का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:28:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 494/2024

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीदान पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. ओमदान पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जिन्दाराम पुत्र पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रतना पुत्री पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. चन्द्रकला पुत्री पाबुदान जाति चारन निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 494 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के पहले से दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में भागीराम उर्फ भागीरथ पुत्र पाबुदान के बजाय भागीरथ पुत्र पाबुदान का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:28:32 IST
Reason: SelfAttested